(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 28 / 2023

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री आशीष राठौर पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण उम्र 37 वर्ष राठौर निवासी केनरा बैंक के सामने मांगरोल रोड बारॉ(विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी, केनरा बैंक के सामने मॉगरोल रोड बारॉ
2. मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी, केनरा बैंक के सामने मॉगरोल रोड बारॉ जिला बारॉ (राज.)
3. श्री लोकेश अवस्थी पुत्र श्री विपिन बिहारी अवस्थी निवासी सी–64, पटेल नगर, रायसेन रोड, हुजुर भेल भोपाल मध्य प्रदेश 462022 (नोमीनी) मैसर्स वाल–मार्ट इण्डिया प्रा.लि. प्लाट नं. ए–82 आईपीआईए झालावाड रोड
4. मैसर्स वाल–मार्ट इण्डिया प्रा.लि. प्लाट नं. ए–82 आईपीआईए झालावाड रोड कोटा जरिये नोमीनी
5. श्री यशोदा नन्द राय पुत्र श्री केदार नाथ राय पद सहायक डेयरी केमिस्ट निवासी मकान नं0 1–जे–3 महावीर नगर तृतीय कोटा (सहायक डेयरी केमिस्ट एवं नोमीनी) मैसर्स मै. कोटा बूंदी जिला दूग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. रावतभाटा रोड अकेलगढ कोटा।
6. मै. कोटा बूंदी जिला दूग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. रावतभाटा रोड अकेलगढ कोटा जरिये नोमीनी।

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) 52 एफएसएसएक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :–	1– श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ.	(प्रार्थी)
	2– श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक	(अप्रार्थी कम्र. 1,2)
	3– श्री मनोज जैन अभिभाषक	(अप्रार्थी कम 3,4)
	4– श्री नरेन्द्र सिंह हाडा अभिभाषक	(अप्रार्थी कम 5,6)

निर्णय दिनांक 21.11.2023

प्रकरण राजस्थान सरकार जरिये गोविन्द सहाय गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.11.2022 को मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी, केनरा बैंक के सामने मॉगरोल रोड बारॉ जिला बारां (राज.) पर पहुंचा। वहॉ श्री आशीष राठौर पुत्र लक्ष्मीनारायण राठौर (विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.11.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूॅ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश कमांक / एच / एफएसएसए / (एफ–28) नोटिफिकेशन / 2012 / 172 दिनांक 01.02.2012 के अनुसार मुझे बास सील संख्या 93 आवंटित की गई एवं श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण राज. जयपुर के आदेश दिनांक 09.06.2022 के द्वारा मुझे कार्यक्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अ[illegible] क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ [illegible] पदार्थ **घी (सरस) 500 एमएल मूल गत्ते पैक** आम जनता को विकय हेतु लकडी की रेक [illegible] परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य प[illegible] **घी (सरस) 500 [illegible] मूल गत्ते पैक** में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अ[illegible] नमूना वास्ते जांच हे[illegible]की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति [illegible] देकर प्राप्ति रसीद ली [illegible] प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **घी (सरस) 500 एमएल मूल गत्ते पैक** के 04 मूल पौली पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री आशीष राठौर पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण राठौर (विक्रेता एवं मालिक) को 1000 / – रूपये (अक्षरे एक हजार रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:20:17 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **घी (सरस) 500 एमएल मूल गत्ते पैक** के चारो भागो पर अलग अलग लेबल तैयार कर चिपकाये एवं लेबल पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1573 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1573 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे कीमत श्री आशीष राठौर पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण राठौर(विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/347 दिनांक 09.11.2022 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1389/PHL/kota/Act/2022/1392 दि. 28.10.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **घी (सरस) 500 एमएल मूल गत्ते पैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)C(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbrand)** होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 12.04.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 ता 6 द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। अप्रार्थी क्रम 3व 4 एवं क्रम 5 व 6 के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में पृथक–पृथक जवाब प्रस्तुत किये गये, जो शामिल पत्रावली किये जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **घी (सरस) 500 एमएल मूल गत्ते पैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा 3(1)(zf)C(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbrand)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने डेयरी के सरस घी 500 एम.एल के गत्ता पैक का सेम्पल लिया गया और उसका विवरण फार्म संख्या–6 दिनांक 11.10.2022 क्रमांक 135 में दर्ज किया गया है जिसके अंतर्गत गत्ता पैक घी की मैन्युफेक्चरिंग डेट दिनांक 05.08.2022 अंकित है और **Best Before 6 Months From Packing** स्पष्ट रूप से अंकित किया है तथा मैन्युफेक्चरिंग एंड पैक्ड बाय कोटा एंड बूंदी जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, कोटा अंकित किया गया है जिससे स्पष्ट पता चलता है कि अप्रार्थीगण का खाद्य पदार्थ किसी प्रकार से **Misbrand** नहीं था। पब्लिक हेल्थ लेबोरेट्री की रिपोर्ट के अनुसार संेपल पास पाया गया लेकिन उनके द्वारा उक्त रिपोर्ट में केवल मिसब्राण्ड लिखा हुआ है और इस संबंध में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किये गये है। अतः निवेदन है कि परिवादी के द्वारा पेश परिवाद खारिज किये जाने के आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:20:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया कि अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **घी(सरस) 500 एमएल मूल गत्ते पैक** खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1389/PHL/kota/Act/2022/1392 दिनांक 28.10.2022 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)C(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbrand)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थी क्रम 3,4,5 व 6 को कुल जुर्माना राशि 20,000/– रूपये (अक्षरे बीस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 04, 05 एवं 06 उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **21.11.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:20:17 IST
Reason: SelfAttested